

NGT ने फरीदाबाद में पैनल का गठन किया

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय हरति अधिकरण](#) ने हरियाणा के फरीदाबाद में पशुपालन एवं डेयरी कार्यालय परिसर में कई [पीपल के वृक्षों](#) की कथति अवैध कटाई की जाँच के लिये एक पैनल का गठन किया है।

मुख्य बंदि

- वरिसत पीपल के वृक्षों का वनिसः
 - याचकिस में उल्लेख कयिस गयिस है क वरिसत में प्राप्त पीपल के वृक्ष नष्ट कर दयिस गए हैं, कतु उनकी जड़ें अब भी वदियमन हैं।
 - संबंघतिस अधकिसरयिसों से शकिसयत के बलवजूद कोई कार्रवई नहीं की गई।
- NGT की टपिणयिसः
 - आवेदन के अनुसार शीशम और अन्य वृक्षों को कटने की अनुमतई दी गई, लेकनिस पीपल के वृक्षों को कटने की अनुमतई नहीं दी गई।
 - याचकिस में उप नदिसक, रेंज अधकिसरी और ठेकेदार द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई का आरोप लगाय गयिस।
 - न्यायलधकिसरण ने फरीदलबलद के प्रभलगीय वन अधकिसरी और हरयिसणल के वन एवं पशुपालन वभिसग को नोटसिस जलरी कयिस।
 - आरोपों की पुष्टकिसरणे तथल आठ सप्तलह के भीतर न्यायलधकिसरण को रपौरट प्रसतुत करने के लयिस एक संयुक्त समतिस नयिकृत की गई।
 - सदस्यों में नमिनलखिसतिस के प्रतनिसधिस शलमलल हैं:
 - सदस्य सचविस, [केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोरड \(CPCB\)](#)।
 - चंडीगढ में [केंद्रीय परयलवरण, वन और जलवलयु परविसरतन मंत्रललय \(MoEFCC\)](#) का क्षेत्रीय करयललय।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS